कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:– प्रशिप/परिषद सम्बद्धता/2019/1132 लखनऊ दिनांक: 15-5-2019

:–कार्यालय ज्ञाप–:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा शैक्षिक सत्र 2019–20 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14–5–2019 को अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक संपन्न हुई। बैठक में सत्र 2019–20 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं का सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि/कमी हेतु सत्र 2019–20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद–17 में डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली नई संस्था का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार–विमर्श कर निम्नवत् निर्णय लिया गया :–

"ऐसी नवस्थापित डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थाएं जिन्हें सत्र 2019–20 हेतु ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है, परंतु पी0सी0आई0 द्वारा अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया है, एवं परिषद की निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षणोपरांत ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों के अनुरूप सत्र 2019–20 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु संस्तुति प्रदान की गयी है, के संबंध में समिति द्वारा विचार–विमर्श किया गया एवं निर्णय लिया गया कि ऐसी संस्थाओं को पी0सी0आई0 अनुमोदन पत्र प्राप्त हो जाने के उपरांत प्रथम वर्ष में प्रवेश के संबंध में बैठक आहूत कर ली जावे जिससे संबंधित संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित काउन्सिलिंग में सम्मिलित कराया जा सके।"

अतः निम्नानुसार संबंधित संस्था को परिषद की निरीक्षण समिति एवं विषय–विशेषज्ञ द्वारा की गयी संस्तुति तथा सम्बद्धता समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2019–20 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है :–

क्र0 सं0	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2019–20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2019–20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	1208	जाकिर हुसैन कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन विलेज मुलेंडर, मेरठ–शामली रोड, सरसावा मेरठ–250342	डिप्लोमा इन फार्मेसी	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1962 तथा अन्य निर्गत नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रमों हेतु रु0 30,150.00/– प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रु0– 48,000.00/– प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु0– 22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त

कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या– प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2020/1971 शाखाकः दिनांकः 15–9–2020

:–कार्यालय ज्ञाप–:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मेसी असेन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2020–21 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14–8–2020 को अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020–21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य नयी पर विचार करते हुए सत्र 2020–21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद–3 में डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार–विमर्श कर निम्नवत् निर्णय लिया गया :–

"निजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020–21 हेतु पी0सी0आई0 द्वारा उन्हें यथावत् अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पी0सी0आई0 द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनकी नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020–21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार–विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पी0सी0आई0 द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020–21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14–08–2020 को आहूत सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2020–21 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उतने अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :–

क्र0 सं0	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2020–21 को अनुमोदित प्रवेश क्षमता	पी0सी0आई0 /परिषद द्वारा सत्र 2020–21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	यथा	मेड डिप्लोमेड एजुकेशनल इन्स्टीट्यूट विजेन–मुजफ्फर, मेड डाक्टरी रोड, लखनऊ, मेरठ।	डिप्लोमा इन फार्मेसी	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एआई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1992 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, सेमेस्टर विनियमावली–2016 तथा अन्य निर्गत नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु रू0 30,150.00/– प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रू0 40,000.00/–प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू0–22,000.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से ग्रहण किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के समय में समय–समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले सामान्यतः उपयोगी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया

Nodal Officer
Zakir Hussain College of Higher Education
Vill.-Mukhara Sardhana Road, Meerut (U.P.)

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्याः- प्राविप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537 लखनऊः दिनांकः 09/08/2021

:-कार्यालय ज्ञाप-:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु विद्योग सार्वेय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1208-ZAKIR HUSSAIN COLLEGE OF HIGHER EDUCATION,VILL-MULHERA MEERUT SHAMLI ROAD SARDHANA,MEERUT-250342

क्र0सं0	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0/ पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा अन्य निर्गमित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी0 पाठ्यक्रमों हेतु रू0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रू0- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रवेश छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निधारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था को (उ0प्र0 प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा,

1/2